

17BP




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 685]
No. 685]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 8, 1995/अग्रहायण 17, 1917
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 1995/AGRAHAYANA 17, 1917

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1995

क- जा- 963॥ब॥—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 [1992 का 35] की धारा 154 की उप-धारा 11] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि :

॥1॥ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 [1974 का 2] की धारा 41[1], 46, 47, 49, 51[1], 52, 74, 102, 149, 150, 151 और 152 द्वारा या जम्मू-कश्मीर राज्य में जम्मू-कश्मीर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1889 की तत्संबंधी धाराओं द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों और उस पर अधिरोपित कर्तव्य क्रमशः तत्स्थानी या समतुल्य पंक्ति के भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के किसी सदस्य की शक्तियों और कर्तव्य होंगे, और

॥2॥ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 [1974 का 2] की धारा 53, 100 और 129 द्वारा या जम्मू-कश्मीर राज्य में, जम्मू-कश्मीर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1889 की तत्संबंधी धाराओं द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों और उस पर अधिरोपित कर्तव्य क्रमशः भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के उप-निरीक्षक की पंक्ति के और उसके ऊपर के प्रत्येक सदस्य की शक्तियों और कर्तव्य होंगे ।

[फ- सं- I-45011/17/92॥रत॥—आई-टी-वी-पी-एफ.]

अनुराग गोयल, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 1995

S.O. 963(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 154 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby directs :—

- (1) that the powers conferred and duties imposed on a police officer by Section 41(1), 46, 47, 48, 49, 51(1), 52, 74, 102, 149, 150, 151 and 152 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), or in the State of Jammu and Kashmir Code of Criminal Procedure, 1889, shall be the powers and duties respectively of a member of the Indo-Tibetan Border Police Force of the corresponding or equivalent rank, and
- (2) that the powers conferred and duties imposed on a police officer by Sections 53, 100, 129 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), or in the State of Jammu and Kashmir by the corresponding Sections of the Jammu and Kashmir Code of Criminal Procedure, 1889 shall be the powers and duties, respectively of every member of and above the rank of Sub-Inspector of the Indo-Tibetan Border Police Force.

[File No. 1. 45011/17/92(L)-ITBPF]
ANURAG GOEL, Jt. Secy.